

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

कमांक/रा.यु.उ.यो./177/2023-24/12835

नवा रायपुर दिनांक 29/02/2024


राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत रेल्वें/बैंकिंग/एस.एस.सी./व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2024-25

—00—

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को रेल्वें/बैंकिंग/एस.एस.सी./व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि - 21.03.2024, अपराह्न 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना- (पृथक से सूचित किया जायेगा)
3. पात्र पाए गए कोचिंग संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन हेतु पृथक से सूचित की जावेगी।

विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते है।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/रा.यु.उ.यो./177/2023-24/12836

नवा रायपुर दिनांक 29/02/2024

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत रेल्वें/बैंकिंग/एस.एस.सी./व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2024-25

—00—

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को रेल्वें/बैंकिंग/एस.एस.सी./व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु विभाग की योजना है। निम्नांकित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण/कोचिंग हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कोचिंग हेतु स्वीकृत सीट
01	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर	100
02	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर	100
03	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	100
04	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, कबीरधाम	100
05	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नारायणपुर	100

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग (C) की कंडिका 10 अनुसार कोचिंग संस्थाओं का चयन प्रशिक्षण दिनांक से 2 वर्षों हेतु किया जायेगा। विशिष्ट परिस्थिति में संस्थाओं का अनुबंध अधिकतम एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकेगा तथा कंडिका 8(IV) अनुसार एक संस्था को अधिकतम 2 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

1. प्रथम बंद लिफाफा :- संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण।
2. द्वितीय बंद लिफाफा :- संस्था के गुणात्मक योग्यता संबंधी विवरण।
3. तृतीय बंद लिफाफा :- वित्तीय लिफाफा (पांचो केन्द्र के लिए पृथक-पृथक लिफाफे में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा)

इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रमुख की पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (गुणात्मक योग्यता) में पात्र पाए जाने पर ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा) खोला जाएगा।

संस्था के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। जिसमें गुणात्मक मूल्यांकन के 70 प्रतिशत एवं वित्तीय दर की 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं का चयन मेरिट क्रम में समिति के द्वारा किया जायेगा।


गुणात्मक मूल्यांकन :- अनिवार्य योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही गुणात्मक मूल्यांकन किया जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा :-

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर	20
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों में दी गई कोचिंग से बैंकिंग, रेल्वे, एस. एस.सी. एवं व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों का विवरण के आधार पर	20
3	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार	10
4	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति के आधार पर	30
5	प्रेजेन्टेशन में समस्या समाधान के बताये गये तरीके के आधार पर	20

इच्छुक कोचिंग संस्थाओं को रु. 1000/- का चालान बैंक में "मद 0250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 102-अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 800 अन्य प्राप्तियां (1)" में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, के नाम से जमा कर, चालान की प्रति प्रस्ताव के साथ प्रथम लिफाफा में संलग्न करना होगा।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि - 21.03.2024, अपराह्न 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना - (पृथक से सूचित किया जायेगा)
3. पात्र पाए गए संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन हेतु पृथक से सूचित की जावेगी।

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधीकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 का अवलोकन कर सकते हैं।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में कोचिंग प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से
 "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2024-25
 आवेदन पत्र

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.....दिनांकके संदर्भ में)

भाग-एक (प्रथम लिफाफा)
(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन नम्बर (पेन कार्ड) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पेन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए)।	
3.	संस्था का जी.एस.टी. नम्बर (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र)/टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
4.	(i) प्रति वर्ष का टर्न ओव्हर 25.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। (ii) पिछले 03 वर्षों में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किए गए का विवरण (सत्यापित अभिलेख)। (iii) विगत 03 वर्षों की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति।	
5.	सुरक्षा निधि के रूप में रु 1.00 लाख का एफ.डी.आर. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में हो, संलग्न होना चाहिए।	
6.	आवेदन शुल्क हेतु 1000/- का बैंक चालान संलग्न करे।	

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
 पद मुद्रा सहित

भाग-दो (द्वितीय लिफाफा-क्रमांक 01 से 02 तक)

क्रमांक 01- संस्था का सामान्य परिचय-पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम :
 - (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
 - (स) दूरभाष (कोड सहित) :
 2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है, विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक :
 3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनीज के अंतर्गत संचालित है तो :-
 - (अ) समिति/कंपनीज का नाम :
 - (ब) समिति/कंपनीज के कार्यालय का पूर्ण पता :
 - (स) दूरभाष (कोड सहित) :
 4. (अ) समिति/कंपनीज किस एक्ट के तहत पंजीकृत है (पूर्ण विवरण देंवे) :
 - (ब) समिति/कंपनी का एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन क्रमांक :
 - (स) समिति/कंपनीज का वैद्यता दिनांक :
 - (द) समिति/कंपनीज के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
 - (इ) समिति/कंपनीज के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
 - (फ) समिति/कंपनीज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर सहित :
5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस प्रभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा किस अवधि तक के लिए वैध है के बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
 6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :-
 - (अ) इन्चार्ज का नाम :
 - (ब) शैक्षणिक अर्हता :
 - (स) अनुभव :

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

भाग-दो (द्वितीय लिफाफा)
क्रमांक 02-कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें																								
1.	कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत कार्य योजना की रणनीति।																									
2.	कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों/स्टडी मटेरियल की एक-एक प्रति।																									
3.	कोचिंग संस्था द्वारा दिए जाने वाले नोट्स तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक एक प्रति।																									
4.	कोचिंग संस्था से राष्ट्रीय एवं राज्य द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में विगत 3 वर्षों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची।																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>विद्यार्थी का नाम</th> <th>परीक्षा का नाम</th> <th>चयनित पद</th> <th>मोबाईल नंबर</th> <th>चयन वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	क्र.	विद्यार्थी का नाम	परीक्षा का नाम	चयनित पद	मोबाईल नंबर	चयन वर्ष																			
क्र.	विद्यार्थी का नाम	परीक्षा का नाम	चयनित पद	मोबाईल नंबर	चयन वर्ष																					
5	कोचिंग संस्था के फैकल्टी का विवरण जिन्हें परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा।																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>शिक्षक का नाम</th> <th>योग्यता</th> <th>स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम</th> <th>उत्तीर्ण करने का वर्ष</th> <th>अनुभव</th> <th>अध्यापन का विषय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुभव	अध्यापन का विषय																		
क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुभव	अध्यापन का विषय																				
	नोट :- सभी का बायोडाटा संलग्न किया जाये। (पृष्ठ क्रमांक का उल्लेख करें।)																									

संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र के भाग-2 (01) से लेकर भाग-2 (02) में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छ.ग.व्यापम इत्यादि के माध्यम से ली जाने वाली लिपिकीय एवं कार्यपालिक पदों की परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण (कोचिंग) राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 एवं "रुचि की अभिव्यक्ति" में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर सहित

टीप :- प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों पर संस्था संचालक का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में कोचिंग प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2024-25

वित्तीय प्रस्ताव – भाग (तीन)

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.....दिनांक.....के संदर्भ में)

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम जिसके लिए दर दिया गया है.....

क्र.	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर(जी.एस.टी.) सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह)	
		अंको में	शब्दों में
1.	रेल्वे/बैंकिंग/एस.एस.सी./व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग), राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 की कंडिका 9 में दर्शायी गई सुविधाओं सहित		

उपरोक्त दर समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

- टीप:-
1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
 2. किसी भी प्रकार का काट-छाँट स्वीकार नहीं किया जाएगा।